

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 611 / 2013
संस्थान दिनांक 09.10.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

वि रू द्ध

1. संदीप पिता मंगत, आयु 23 वर्ष
 2. तेरसिंह पिता बितरसिंह, आयु 29 वर्ष
 3. जितेन्द्र पिता अम्बाराम, आयु 21 वर्ष
- सभी निवासी-ग्राम चिचलाई
थाना कसरावद जिला खरगोन म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// / निर्णय //

(आज दिनांक 28.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 145 / 2013 अंतर्गत धारा 11 (घ) पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1860 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39 / 192 (1) ए, 66 / 192 (1) व 3 / 181 में दिनांक 09.10.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 04.07.2013 को समय 20:00 बजे, ए.बी. रोड़, ग्राम बरूफाटक बायपास पर वाहन टेम्पों टाटा एस कम्पनी का इंजिन क्रमांक 275 आईडीआई 06 बीडब्ल्यूएस 41382 एवं चेचिस क्रमांक एमएटी 445056 डीजेडीबी 15496 में नग 02 बैलों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुँह-पैर बांधकर ले जाने, गौवंश के 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टेम्पों टाटा एस कम्पनी का इंजिन क्रमांक 275 आईडीआई 06 बीडब्ल्यूएस 41382 एवं चेचिस क्रमांक एमएटी 445056 डीजेडीबी 15496 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने तथा गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टेम्पों टाटा एस कम्पनी का इंजिन क्रमांक 275 आईडीआई 06 बीडब्ल्यूएस 41382 एवं चेचिस क्रमांक एमएटी 445056 डीजेडीबी 15496 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के संबंध में धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.07.2013 को प्रधान आरक्षक सुरभानसिंह के ईलाका भ्रमण के दौरान ग्राम बरूफाटक में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन टेम्पों में बैलों को मुँह-पैर बांधकर वध हेतु शिरपुर धुलिया की ओर ले जा रहे हैं। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चौकी बरूफाटक से आरक्षक भूपेन्द्र व पंचान महेश व मदन को तलब कर ग्राम बरूफाटक बायपास पर वाहन चेकिंग करते एक वाहन टाटा एस कम्पनी का बिना क्रमांक का आते दिखा जिसे चेक किया जिसमें 2 बैल सफेद रंग के मिले जिनके पैर एवं मुँह बंधे हुए भरे पाये गये थे। पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप से बैलों को ले जाने संबंधी पूछताछ करने पर बैलों को धुलिया शिरपुर वध हेतु बुचड़खाना ले जाना बताया था तथा साथ में बैठे जितेन्द्र एवं तेरसिंग से परमिट के संबंध में पूछने पर नहीं होना बताया तथा साक्षियों के समक्ष पुलिस द्वारा अभियुक्तों से 02 बैलों को तथा वाहन टेम्पों बिना क्रमांक का जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त संदीप, तेरसिंह एवं जितेन्द्र को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 लगायत 4 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये व अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/2013 अंतर्गत धारा 4, 6 एवं 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 7 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षी महेश एवं मदन के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी तत्कालीन श्री मसूद एहमद खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 11 (घ) पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 04.07.2013 को समय 20:00 बजे, ए.बी. रोड़, ग्राम बरूफाटक बायपास पर वाहन टेम्पों टाटा एस कम्पनी का इंजिन क्रमांक 275 आईडीआई 06 बीडब्ल्यूएस 41382 एवं चेचिस क्रमांक एमएटी 445056 डीजेडीबी 15496 में नग 02 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह-पैर बांधकर ले जा रहे थे ?

2. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टेम्पों टाटा एस कम्पनी का इंजिन क्रमांक 275 आईडीआई 06 बीडब्ल्यूएस 41382 एवं चेचिस क्रमांक एमएटी 445056 डीजेडीबी 15496 में वध? हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये गये ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टेम्पों टाटा एस कम्पनी का इंजिन क्रमांक 275 आईडीआई 06 बीडब्ल्यूएस 41382 एवं चेचिस क्रमांक एमएटी 445056 डीजेडीबी 15496 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया ?

यदि हां, तो उचित दंडाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में महेश (अ.सा.1), बदन (अ.सा.2), डॉ. दिनेश पटेल (अ.सा.3) एवं प्रधान आरक्षक सुरभानसिंह (अ.सा.4) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। प्रधान आरक्षक सुरभानसिंह (अ.सा.4) ने अपने कथन में बताया है कि वह अभियुक्तों को जानता है, अभियुक्तों से लगभग

2 वर्ष पूर्व बैल जप्त किये थे। घटना दिनांक 04.07.2013 को वह क्षेत्र भ्रमण पर बरूफाटक की ओर गया था। जहाँ उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टेम्पों में बैलों को मुँह एवं पैर बांधकर शिरपुर धुलिया की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर उसने बरूफाटक पुलिस चौकी से आरक्षक भूपेन्द्र तथा साक्षी महेश एवं मदन को तलब किया तथा बरूफाटक पर वाहनों की जाँच की। जाँच करते समय एक ट्रक टाटा एस कम्पनी का बिना नम्बर का चेक किया जिसमें 2 बैल सफेद रंग के थे जिनके मुँह एवं पैर रस्सी से बंधे हुए थे। टेम्पों चालक ने उसका नाम संदीप एवं सहयोगी के रूप में बैठे हुए व्यक्तियों ने अपना नाम जितेन्द्र एवं तेरसिंह बताया था। अभियुक्तों के पास बैलों को परिवहन करने का कोई दस्तावेज या परमिट नहीं था। उसने घटनास्थल पर साक्षियों के समक्ष उक्त टाटा ट्रक बिना क्रमांक का तथा 2 सफेद रंग के बैल प्रदर्शपी 1 क अनुसार जप्त किये थे जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी महेश एवं मदन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा जप्त बैलों को भगवानपुरा गौशाला अस्थाई सुपुदगी पर दिया गया था। अभियुक्तों एवं टेम्पों को लेकर वह थाना आया जहाँ उसने अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/13 प्रदर्शपी 7 का दर्ज किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्त बैलों का चिकित्सीय परीक्षण पशु चिकित्सालय में करवाया था तथा जप्त बैलों एवं वाहन को राजसात करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला कलेक्टर को पत्र भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि भ्रमण पर जाने एवं वापस आने पर रोजनामचा सान्हा की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है और प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी लेखबद्ध नहीं किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जप्ती पंचनामों पर टेम्पों को त्रिपाल सहित जप्त करने का भी उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि गुरुवार के दिन ग्राम सुन्देल में पशु बाजार लगता है जहाँ अच्छी किशम के पशु क्रय-विक्रय करने के लिए राजपुर, सेंधवा, खेतिया, पलसूद अंजड़ आदि जगह से कृषक व्यक्ति आते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य होता है तथा कृषि में जो बैल उपयोग होते हैं जो उसने देखे हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपनी विवेचना को बल देने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

8. डॉ. दिनेश पटेल असा 3 का कथन है कि उसने दिनांक 06.07.2013 थाना ठीकरी के पत्र क्रमांक क्यू/दिनांक 04.07.2014 के आधार पर 2 बैलों का चिकित्सीय परीक्षण किया था। उक्त बैलों का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उक्त दोनों बैल स्वस्थ एवं कृषि कार्य हेतु उपयुक्त पाये थे। उक्त दोनों बैलों को किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे। साक्षी ने अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 भी प्रमाणित किया है।

9. महेश असा 1 एवं मदन असा 2 अभियुक्तों से उक्त बैल जप्त करने के साक्षीगण हैं, लेकिन मदन असा 2 ने अभियुक्तों को पहचानने या उनके सामने अभियुक्तों से कोई भी वस्तु करने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षियों ने प्रदर्शपी 1 से 4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इन साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 5 का कथन देने से भी स्पष्ट इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम सुन्देल में अच्छी किशम के पशु क्रय-विक्रय करने के लिए बाजार गुरुवार को लगता है और कृषक व्यक्ति उक्त बाजार से पशु क्रय कर लाते हैं। महेश असा 1 का केवल इतना कथन है कि वह अभियुक्त तेरसिंह को जानता है। 1 वर्ष पूर्व वह बरूफाटक में अपने खेत में काम कर रहा था तभी पुलिस के प्रधान आरक्षक ने उसे बुलाया था और उसने देखा था कि अभियुक्त तेरसिंह टेम्पों में 2 बैल भरकर ले जा रहा है पुलिस ने उससे जप्ती पंचनामों पर हस्ताक्षर करवाये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 से 4 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्तों से कोई पूछताछ नहीं की थी और उसने हस्ताक्षर करते समय उक्त पंचनामों कोरे थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त पंचनामों पर उसके अतिरिक्त अन्य किसी ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस के कहने पर उसने उक्त पंचनामों पर हस्ताक्षर किये थे।

10. इस प्रकार प्रकरण में जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी सुरभानसिंह के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा कृषि उपयोगी उक्त 2 बैलों का परिवहन कूरतापूर्वक तरीके से करने या करवाने के आशय से किया जा रहा था। जप्ती पंचनामों के अन्य साक्षीगण महेश एवं मदन द्वारा अभियुक्तों द्वारा वध करने के आशय से उक्त 2 बैलों का परिवहन किये जान के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं यहाँ तक कि सुरभानसिंह असा 4 ने स्वयं को इलाका गश्त के लिए जाना बताया था, लेकिन उक्त इलाका गश्त के लिए जाने एवं पशु सहित वापस आने के संबंध में थाने के रोजनामचे की प्रति भी न्यायालय में पेश नहीं की है। इस प्रकार जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तगण उक्त अपराध में संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हो जाते हैं।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों संदीप, तेरसिंह एवं जितेन्द्र के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को शंका का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

12. प्रकरण में जप्तशुदा बाद वाहन टेम्पो टाटा एस कम्पनी का इंजिन क्रमांक 275 आईडीआई 06 बीडब्ल्यूएस 41382 एवं चेचिस क्रमांक एमएटी 445056 डीजेडबी 15496 एवं जप्तशुदा 2 बैलों के संबंध में राजसात की कार्यवाही जिला कलेक्टर बड़वानी द्वारा की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 572/2013 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध शेख आरिफ आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- शेख आरिफ पिता इमाम, आयु 30 वर्ष,
निवासी— मदिना मस्जिद के पास,
अजन्ता, थाना अजन्ता, तहसील सिल्लौद,
जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 24.08.2013

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त दिनांक 24.08.2013 से दिनांक 14.09.2013 तक रहा है। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 21 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

अंजड़, जिला—बड़वानी, म०प्र०

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 572/2013 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध शेख आरिफ आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- शेख शरीफ पिता इमाम, आयु 35 वर्ष,
निवासी- मदिना मस्जिद के पास,
अजन्ता, थाना अजन्ता, तहसील सिल्लौद,
जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 24.08.2013

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त दिनांक 24.08.2013 से दिनांक 14.09.2013 तक रहा है। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 21 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को शंका का लाभ देते हुए धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 6-क/10 मध्यप्रदेश कृषिक पशु परीरक्षण अधिनियम एवं धारा 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है ।

15. प्रकरण में जप्तशुदा 21 बैल दिनांक 20.01.2010 को उसके पंजीकृत स्वामी/आवेदक राजेन्द्र पिता बाबुलाल यादव, निवासी-बिलवाडेब को सुपुर्दीनामे पर दिये गये हैं। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा बैल/कैडों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

15. प्रकरण में जप्तशुदा 2 बैल एवं जप्तशुदा टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.एन. 0850 के संबंध में राजसात की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी

(मसूद एहमद खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बडवानी